प्रेषक,

अक्षय त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2022

विषय:- कानुपर में एसटीपीआई को यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध कराये गये परिसर के मासिक किराये हेतु धनराशि रू0 30.43 लाख (रूपये तीस लाख, तैंतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीएलसी के पत्र संख्या- यूपीएलसी:आईसीपी 9064(2022-23)/1147 , दिनांक 25 जुलाई, 2022 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्ष ''2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों-202 इलेक्ट्रानिक्स-09-आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 30.43 लाख (रूपये तीस लाख, तैंतालीस हजार मात्र) को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने की निम्निलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के राजस्व लेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग) के "लेखाशीर्ष-2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-09-आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020, 18-05-2020 व 30-12-2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,43,000 (रूपये तीस लाख, तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072020900 आईटी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के भवनों की स्थापना, अनुरक्षण, किराया तथा सुरक्षा कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अक्षय त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या- 23/2022/1041/001-78-01099-159-2022 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनु0-2
11- आई.टी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 उ०प्र० शासन
12- अनु सचिव, आई.टी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 उ०प्र० शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अक्षय त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in